

21a) डा. वि. ए. एस. मिश्रा  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम**

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

04/7/24

→ वादी एवं उत्तर के  
 अधिवक्ता उपर परी प्रशिक्षण  
 से 2-2 कर विवाजे दिमाही गरी  
 जोकि श्री राम से कोई उपस्थित  
 परी डाया। समय बराबर की  
 समाप्ति पर ही काम। अनुपस्थिति  
 की ही कारण वादी का वादे  
 बिना लगे। बिना परी के  
 खारिज किया जाता है। वादे  
 तदनुसार निमित्त लगे वादे इत्यादि  
 पत्रों पर विचार कर कार्यवाही के लिए

उपखण्ड अधिकारी  
 कोटकासिम (खैरथल प्रतिजारा) रा

